ज्ञाप० सं० ए० ए० बी० -- 1040/ 67/ 9860 - एफ०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना, 23 सितम्बर, 1968 ।

विषय- सरकारी वायुयान के उपयोग के लिए नियमावली।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि राज्य सरकार इस विषय पर पिछली सभी नियमावलीयों को अतिष्ठित करते हुये सरकारी वायुयान के उपयोग के लिए निम्नलिखित नियमावली विहित करती है। वह नियमावली 1 सितम्बर, 1968 से प्रभावी होगी।

नियमावली

1. सरकारी वायुयान मुख्यतः राज्य के भीतर शासकीय कर्त्तव्य सम्बन्धी प्रभावों के लिए है। कोई भी सरकारी वायुयान राज्यपाल या वित्त विभाग के प्रभारी सलाहकार अथवा मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री के पूर्व अनुमोदन से ही राज्य के बाहर ले जाया जायेगा, अन्यथा नहीं।

2. (क) ''सरकारी वायुयान का उपयोग राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों, बिहार विधान मंडल के किसी सदन के पीठासीन पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय और राज्य के ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जिनका विशेष वेतन सहित वेतन 1,350 रू० से कम नहीं हो।''
यह संशोधन दिनांक 18 फरवरी, 1972 से प्रभावशील होगा।
(ज्ञाप संख्या ए० ए० बी० 1040/57--3255एफ०, दिनांक 21 मार्च, 1972)

(ख) 900 रू० से अधिक और 1,349 रू० से अनाधिक वेतन पाने वाला पदाधिकारी वित्त विभाग के सचिव की विशेष अध्यलेखा पर जो सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा सरकारी वायुयान के उपयोग की आचश्यकता अभिलिखित करेगा, विमान का उपयोग कर सकता है, परन्तु साकार का सचिव या अपरसचिव, विभागाध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक सरकारी वायुयान का उपयोग कर सकता है भले ही उसका वेतन 1,350 रू० से कम हो। उप-खण्ड (क) या (ख) में उल्लिखित कोटि के किसी पदाधिकारी के लिए व्यवस्थित किसी उड़ान में यदि आसन (सीट) उपलब्ध हो, तो सरकार के सचिव की विशेष अध्यपेक्षा के बिना ही रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार कोई पदाधिकारी उसका उपयोग कर सकता है।

(x) इस नियम के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित कोटियों के संघ सरकार के उच्चपदस्थ व्यक्ति और पदाधिकारी भी, शासकीय कर्त्तव्य पर इस राज्य में रहते समय, किसी विभाग के सचिव द्वारा अध्यपेक्षा की जाने पर सरकारी वायुयान का उपयोग करने के हकदार होगें।

(घ) किसी विभाग के सचिव की विशेष अध्यपेक्षा पर प्रतिष्ठित-अशासकीय व्यक्तियों को भी सरकारी वायुयान का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वे इस राज्य में शासकीय कर्त्तव्य पर हों।

3. जब सरकारी वायुयान का उपयोग शासकीय कर्त्तव्य के लिए किया जा रहा हो, तब रिक्त आसनों (सीटों) का उपयोग कंडिका 2(क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्ति या उनके कुटुम्ब के सदस्य निजी प्रयोजन के लिए की जानेवाली यात्रा में 0.50 पैसे प्रति मील प्रति आसन (सीट) का भुगतान करने पर, कर सकते हैं।
टिप्पणी - "कुटुम्ब" शब्द का वही अर्थ होगा, जो बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली में हैं।
यदि रिक्त-आसन (सीट) का उपयोग विशेष परिस्थितियों में कोई अन्य व्यक्ति करे, तो उसे, 100 प्रति आसन (सीट) प्रति मील की दर से भुगतान करना होगा।
ऐसे सभी मामलों में वसूलनीय रकम का भूगतान उड़ान प्रारम्भ होने के पहले किया जाना चाहिये।

4. सरकारी वायुयान का उपयोग राज्यपाल, सलाहकार, मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधान-सभा एवं सभापति/ उप-सभापति, विधान-परिषद् निजी यात्रा के लिए कर सकते हैं। (किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निजी यात्राओं के लिए सरकारी वायुयान का उपयोग राज्यपाल, वित्त विभाग के प्रभारी, सलाहकार, मुख्य मंत्री या वित्त-मंत्री के विशेष आदेशों के अधीन ही अनुमत है अन्यथा नहीं।) निजी यात्राओं के लिए सरकारी वायुयान का उपयोग केवल तभी अनुदेश है जब शासकीय यथा संबद्ध वायुयान की कोई अध्यपेक्षा न हो। निजी यात्रा के लिए बुकिंग बिना सूचना के रद्द की जा सकेगी।

5. (क) जब सरकारी वायुयान का उपयोग शासकीय कर्त्तव्य पर यात्रा से भिन्न रूप में किया जाये तो उसके उपयोग के लिए चालन-खर्च निम्मलिखित दरों पर देय होगा। :-

(1) युग्म इंजन विमान के उपयोग के लिए 7.50 रू० प्रति मील।

(2) एकल इंजन विमान के उपयोग के लिए 5.00 रू० प्रति मील।

(3) चालन-खर्च यात्रा प्रारंभ होने के बिन्दु से यात्रा समाप्त होने के बिन्दु के बीच के न्यूनतम हवाई मील के लिए चार्ज किया जायेगा।

(ख) जब विमान शासकीय कर्त्तव्य पर नहीं उड़ रहा हो तो चार्ज मुख्यालय से यात्रा प्रारंभ होने से लेकर उसके मुख्यालय लौटने तक तय की गई मील-दूरी के लिए जोड़ा जायेगा, भले ही उस बीच विमान यात्रियों की अधिकतम संख्या से कम यात्रियों के साथ क्यों न उड़ा हो।

(ग) जब विमान का उपयोग शासकीय कर्त्तव्य पर यात्रा के सम्बन्ध में किया जा रहा हो तब प्रति घंटा निम्न दरों पर रोक-चार्ज (डिटेंशन चार्ज) लिया जायगा-

(1) 6 घंटे और उससे कम के लिए - एकल इंजन विमान 10.00 रू०

युग्म इंजन विमान 20.00 रू०

(2) 6 घंटे से अधिक के लिए - एकल इंजन विमान 15.00 रू०

युग्म इंजन विमान 30.00 रू०

(घ) विमान को 12 घंटो से अधिक रोकना अनुमत नहीं होगा।

(ङ.) यदि पायलट यह अभिप्रमाणित करे कि विमान का उड़ान किसी यांत्रिक या अन्य त्रुटि या अनुकूल मौसम न रहने के कारण अथवा भाड़ेदार की इच्छा से भिन्न किसी कारण से बाधित हुआ तो कोई भी रोक-चार्ज नहीं लगेगा।

टिप्पणी:- साधारणतः विमान के 3 घंटे से अधिक रोकने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 3 घंटे अधिक रोकने की अनुमति केवल तभी दी जायेगी जब पायलट को इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिव किया गया हो, अन्यथा नहीं। यदि विमान पूर्व करार द्वारा 3 घंटे से अधिक रोका जाय तो जाने-आने की या के लिए चार्ज के अतिरिक्त नियम 5 (ग) में यथाउपबंधित रोक-चार्ज देना होगा। फिर भी, नियम 5 (घ) व उल्लघंन करके कोई करार नहीं किया जा सकता। यदि गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के बाद विमान छोड़ दिया जा और उससे यात्रियों को पुनः ले जाने की अपेक्षा की जाय तो स्पष्टतः दो जाने की और दो लौटने की यात्रा होंगी, जिनके लिए चार्ज का भुगतान करना होगा। निजी यात्रा के लिए भाड़े पर लिया गया विमान, चाहे य यात्रा बाहर जाने की हो या आने की भाड़ेदार द्वारा प्राधिकृत यात्रियों को ही लेगा और ऐसे यात्रियों को स्व अपनी व्यवस्था भारेदार के साथ करनी होगी।

6. आपात काल में इस राज्य का दौरा करनेवाले संघ के मंत्रियों, संघीय संसद् के पीठासीन पदाधिकारि और संघीय सरकार के उच्च पदाधिकारियों के मामलों को छोड़कर विमान के लिए अध्यपेक्षा, यात्रा कार्यक्रम क प्रतिलिपि के साथ वित्त विभाग के अवर-सचिव के पास सात दिन पहले भेजी जानी चाहिए। वित्त विभा साधारणतः उसी क्रम में विमान देने की कोशिश करेगा जिस क्रम में अध्यपेक्षा प्राप्त होगी। जब कार्यक्रम टकरात हो, तब वित्त-सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जायेगा ऐसे मामलों में राज्यपाल, सलाहकार, मुख्य-मंत्री औ अन्य मंत्रियों को किसी अन्य कार्यक्रम से अधिमानता दी जायेगी।

7. अध्यपेक्षा साधारणतः एकल इंजन विमान के लिए की जायेगी। जब एकल इंजन विमान उपलब्ध नहीं हो और उपयुक्त समय के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तथा वित्त सचिव वैसी परिस्थितियों में युग्म इंजन विमान का काम में लाया जाना आवश्यक समझता हो केवल तभी युग्म इंजन विमान की अध्यपेक्षा की जा सकेगी।

8. सरकारी वायुयान का उपयोग करने के हकदार किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा एकल इंजन या युग्म इंजन विमान की अध्यपेक्षा की जाने पर वित्त विभाग को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह आसन (सीट) उपलब्ध रहने पर विमान का उपयोग करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति को उसमें स्थान दे दें। ताकि यथासम्भव विमान के अधिकतम आसनों का उपयोग किया जा सके। ऐसे मामलों में वित्त विभाग विमान में यात्रा करनेवाले सभी व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समन्वित कार्यक्रम बनाएगा।

9. नियम 6 के अधीन अध्यपेक्षा को छोड़कर, युग्म इंजन विमान का उपयोग केवल राज्यपाल, सलाहकार और मुख्य-मंत्री द्वारा किया जा सकेगा। फिर भी यदि विमान का उपयोग करने के हकदार कम-से-कम चार व्यक्ति संयुक्त रूप से अध्यादेश करे अथवा यदि विमान का उपयोग करने के हकदार कम-से-कम चार व्यक्तियों द्वारा युग्म इंजन विमान में यात्रा सुनिश्चित करने की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जा सकती हो, तो युग्म इंजन विमान उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह प्रतिबन्ध मुख्यालय से युग्म इंजन विमान द्वारा यात्री प्रारम्भ पर लागू होगा।

10. साधारणतः सरकारी वायुयान राज्यपाल, सलाहकारों, मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उप-मंत्रियों को लाने के लिए ही मुख्यालय से खाली जाएगा अन्यथा नहीं। आपवादिक मामलों में, विमान के वित्त सचिव के विशिष्ट आदेशों के अधीन किसी व्यक्ति को लाने के लिए खाली जा सकेगा। फिर भी प्रतिब उस स्थिति में लागू नहीं होगा जबकि सरकारी विमान का उपयोग करने के हकदार किसी व्यक्ति के कर्त्तव्य रहने पर उत्तर बिहार के किसी स्थान से दक्षिण बिहार अथवा छोटानागपुर के किसी स्थान तक या दक्षिण बि अथवा छोटानागपुर के किसी स्थान से उत्तर बिहार के किसी स्थान तक उसके परिवहन के लिए अपेक्षित हो।

11. साधारणतः शासकीय यात्राओं के लिए सरकारी विमान को उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यदि यात्रा प्रारम्भिक और अन्तिम बिन्दु दोनों ही गंगा के उत्तर क्षेत्र में अथवा दोनों बिन्दु गंगा दक्षिण क्षेत्र में पड़ते हों। पि भी यदि अन्य साधनों से यात्राएं असुविधाजनक रूप से लम्बी हों अथवा यदि उन स्थानों तक रेल या सड़क न पहुंचा जा सकता हो अथवा यदि बाढ़-सर्वेक्षण या, किसी तरह के अन्य कोई कारण हो, जो वित्त सचिव द्वा अभिलिखित किए जायेगें, वित्त सचिव ऐसी उड़ानों की अनुज्ञा दे सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० एस० अप्पू,
सचिव।

ज्ञाप संख्या 9860-एफ ।

पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 1968 ।

लिपि वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों, प्रशाखा पदाधिकारियों को जानकारी दी जाती है।

ह० प्र० यादव,
उप-सचिव ।

adhisuchna(cad)